तहसीलदार, इनाम, सरकार

मु० नं० – 34/19

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.
1/10/19	आज यह प्रार्थना पत्र धारा 136 के तहत उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम से मंगवाया गया। प्रकरण को रजिस्टर हो। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम ने प्रतिवेदन पत्र में अंकित किया कि खसरा नं. 182 किता 6 रकबा 4-13 बीघा वाले ग्राम कानी तहसील कोटकासिम में डोरम्म सबका पुश्तैनी कब्रिस्तान 1/4 के स्थान पर 1/3 हिस्से को करने के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। तथा पक्षकारों, सु. अ. निरीक्षक व उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम की रिपोर्ट से स्पष्ट होकर आदेश दिये जाते है कि खसरा नं. 182 वाले ग्राम कानी तहसील कोटकासिम में डोरम्म सबका पुश्तैनी 1/4 हिस्से के स्थान पर 1/3 हिस्सा करने के आदेश दिये गये है। यह आदेश सु-प्रतिवेदक अभियुक्तीकरण संबंधित मरम्मतकार्यों परियोजना DILRMP के तहत सीमांकन कार्य हेतु जारी किया गया है। प्रभावित पक्षकार सक्षम न्यायालय में अपनी पैरवी हेतु स्वतंत्र रहेंगे। रिकॉर्ड अनुसार दाखिल। प्रार्थी पत्र का गायब से करने तथा वाद एकांकी होकर खारिज है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner